

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प) कैम्प उमरलाई

आदेश:- 186/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमरलाई व भूअ.नि. काताता
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशासा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमरलाई जहाँ तहसील पयपड़ा व जिला बा.ड.भ.
की जमाबन्दी सम्वत् 2073-73 में खाता संख्या 3 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>उमरलाई</u>	<u>3</u>	① भोपाल सिंह का जड़सिंह ② भंवरसिंह का जड़सिंह	① भोपाल सिंह का जड़सिंह ② भंवरलाल का जड़सिंह

(उमरलाई)
पीठासीन अधिकारी
(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प

क्रमांक :- 583/584

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली। को सूचनार्थ।

(उमरलाई)
पीठासीन अधिकारी
(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प